

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सियल ऐरिया, सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर-16)

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ/डीएलबी/2017/15546

जयपुर, दिनांक: 20/7/2017

प्रशिक्षण आदेश

“स्मार्टराज प्रोजेक्ट” के अन्तर्गत “सिंगल विण्डों क्लियरेन्स सिस्टम” की नव निर्मित एप्लीकेशन (बिल्डिंग परमिशन, फायर एनओसी, 90ए रूपांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन) मय कॉमन एप्लीकेशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में निम्न प्रकार रखा गया है, जिसमें संबंधित निकाय के पदाभिहित अधिकारी/कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य है। दिनांक 01.08.2017 से समस्त निकायों में निर्देशानुसार उक्त सेवाएँ ऑनलाइन ही निस्तारित की जावेगी।

क्र सं	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	दिनांक	समय
1.	जयपुर संभाग के जिला जयपुर, अलवर, सीकर, (समस्त निकाय)	24.07.2017	10.30 से 01.30 PM
2.	जयपुर संभाग के जिला झुन्झुनू, दौसा (समस्त निकाय)	24.07.2017	2.30 से 05.30 PM
3.	अजमेर संभाग (समस्त निकाय)	25.07.2017	10.30 से 01.30 PM
4.	बीकानेर संभाग (समस्त निकाय)	25.07.2017	2.30 से 05.30 PM
5.	जोधपुर संभाग (समस्त निकाय)	26.07.2017	10.30 से 01.30 PM
6.	कोटा संभाग (समस्त निकाय)	26.07.2017	2.30 से 05.30 PM
7.	उदयपुर संभाग (समस्त निकाय)	27.07.2017	10.30 से 01.30 PM
8.	भरतपुर संभाग (समस्त निकाय)	27.07.2017	2.30 से 05.30 PM

अतः संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशापी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित पदाभिहित अधिकारी/कार्मिकों (उक्त सेवाओं से संबंधित प्रक्रिया अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्मिक) को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर सूचना dlboicmcell@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ/डीएलबी/2017/15547-15774 जयपुर, दिनांक: 20/7/2017

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

3. कार्यकारी निदेशक रूडसिको, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त, INV & NRIs (BIP), उद्योग विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
6. परियोजना निदेशक (इन्फ्रा.), रूडसिको, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय को भेजकर निवेदन है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में सहयोग/आवश्यक जानकारी देने हेतु पाबंद करें।
8. मुख्य अनिशमन अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में सहयोग/आवश्यक जानकारी देने हेतु पाबंद करें।
9. श्री हेमन्त शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूडसिको, जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि क्षेत्रीय निकायों में पालना हेतु पाबंद करें।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
12. श्री दीपक चौरे, असिस्टेंट वाईस प्रसिडेंट, मैसर्स फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड, पांचवी मंजिल, गंगा हाइट्स, टोंक रोड लालकोठी जयपुर को वास्ते प्रशिक्षण की समुचित आवश्यक व्यवस्था सहित सहयोगी फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित कर कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रेषित है।
13. प्रबंधक, मार्स टेलिकॉम, पांचवी मंजिल, गंगा हाइट्स, टोंक रोड, लालकोठी, जयपुर को वास्ते सभी सेवाओं का प्रशिक्षण की समुचित आवश्यक व्यवस्था मय संसाधन सहित प्रतिनिधियों को निर्देशित कर कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रेषित है।
14. श्री राजीव गुजराल, मुख्य परियोजना अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर को भिजवाने का श्रम करें।
15. प्रोगामर, निदेशालय को प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहकर क्रियान्विति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाता है।
16. श्री डी.के. जिन्दल, नोडल अधिकारी, सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम, निदेशालय, को भेजकर लेख है कि आवश्यक व्यवस्था व सभी स्टैक हॉल्डर्स से काडिनेशन करें।
17. सीएमएआर, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण में चाय, पानी व अल्पाहार की समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
18. कार्यालय अधीक्षक/केयर टेकर, निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द मोहन)

संयुक्त निदेशक (एस.ए)